Regarding request for proper compensation and employment to farmers affected by land acquisition in upcoming Bundelkhand Expressway Development Authority Project-laid

श्री अनुराग शर्मा **(झाँसी) :** मैं सरकार का ध्यान आगामी बीडा (बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डेवेलपमेंट अथॉरिटी) परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । इस परियोजना के तहत प्रभावित गांवों की भूमि का सर्किल रेट ₹19 लाख से ₹8 लाख प्रति हेक्टेयर तक है । प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास के तहत श्रेणी वर्ग-3 के किसानों को भूमिधर किसानों की तरह मुआवजा मिलना चाहिए । भूमिहीन किसानों के परिवार के एक सदस्य को नई कंपनियों में नौकरी देने का प्रावधान मास्टर प्लान में शामिल किया जाए । मुआवजे के लिए ढिकौली, खैरा, बदनपुर, राजापुर सहित सभी 33 गांवों को एक साथ मुआवजा दिया जाए । बीडा क्षेत्र में प्रभावित गांवों के मजरों से औद्योगिक क्षेत्र की दूरी स्पष्ट की जाए । यदि किसान की जमीन 4.5 एकड़ से कम रह जाती है तो उसे रोजगार के विकल्प दिए जाएं । आवासहीन किसानों को पुनर्वास और असंख्यमणीय पट्टे दिए जाने के बावजूद उनकी भूमि का मुआवजा मिलना चाहिए । भूमि की दरें पहले उन गांवों की तय की जाएं जिनकी दरें ₹8 से ₹9 लाख प्रति हेक्टेयर हैं । बीडा क्षेत्र की भूमि की दरें जनपद के अन्य क्षेत्रों के समान बढ़ाई जाएं । बीडा क्षेत्र में ड्राई पोर्ट, कंटेनर पोर्ट, वेयरहाउस, आईटी हब, हवाई अड्डा की कार्ययोजना का साइड प्लान स्पष्ट किया जाए ।